[2020] 4 उम. नि. प. 118

राजेन्द्र सिंह और अन्य

बनाम

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि. और अन्य

[2020 की दांडिक अपील सं. 2624]

18 जून, 2020

न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति बी. आर. गवई

मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) – धारा 166 – प्रतिकर का अवधारण – मोटर दुर्घटना में दावेदार की पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो जाना – मृत्यु एक घोड़ा गाड़ी में अन्य व्यक्तियों के साथ यात्रा करते हुए बस द्वारा टक्कर मार देने के कारण होना – घोड़ा गाड़ी सड़क के बीचों-बीच होने के कारण योगदायी उपेक्षा के आधार पर प्रतिकर में कटौती किया जाना – चूंकि मृतका न तो घोड़ा गाड़ी की स्वामिनी थी और न ही उसे उनके पर्यवेक्षण में हांका जा रहा था, इसलिए इस तथ्य के होते हुए भी कि घोड़ा गाड़ी दुर्घटना के समय सड़क के बीचों-बीच चल रही थी, मृतकाओं को उनके किसी दोष के बिना योगदायी उपेक्षा के लिए दायी ठहराते हुए प्रतिकर में की गई पचास प्रतिशत कटौती को कायम नहीं रखा जा सकता है ।

मोटर यान अधिनियम, 1988 – धारा 166 – प्रतिकर का अवधारण – मोटर दुर्घटना में दावेदार की पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो जाना – जहां मृतका पत्नी की काल्पनिक आय 3,000/- रुपए प्रतिमाह अवधारित करते हुए व्यक्तिगत खर्चों के लिए कटौती करके 17 के गुणक द्वारा 4,59,000/- रुपए प्रतिकर अधिनिर्णीत किया गया हो, वहां पति को सहजीविता की हानि के अतिरिक्त भावी संभाव्यता के लिए भी हकदार होते हुए 40 प्रतिशत की दर से कुल 11,96,000/- रुपए का प्रतिकर अधिनिर्णीत करना न्यायोचित होगा ।

इस अपीलों के तथ्यों के अनुसार, प्रथम अपील में मृतका लगभग

30 वर्ष आयु की एक गृहणी थी । दूसरी मृतका लगभग 12 वर्ष आयु की उसकी पुत्री थी । दावेदार मृतका का पति/पिता और तीन अप्राप्तवय भाई-बहिन हैं । दोनों मृतका तारीख 25 दिसंबर, 2012 को एक घोड़ा गाड़ी में कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ एक धार्मिक सत्संग में जाने के लिए यात्रा कर रहे थे । घोड़ा गाड़ी को एक बस द्वारा टक्कर मार दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई थी । अधिकरण ने प्रथम मृतका की काल्पनिक आय 36,000/- रुपए वार्षिक निर्धारित की और व्यक्तिगत खर्चों के लिए 1/4 की कटौती करने के पश्चात् 17 के गुणक के साथ 4,59,000/- रुपए का प्रतिकर अधिनिर्णीत किया । अधिकरण ने इसके पश्चात् योगदायी उपेक्षा के आधार पर 50 प्रतिशत की कटौती की क्योंकि जब दुर्घटना घटी थी तब घोड़ा गाड़ी कथित रूप से सड़क के बीचों-बीच चल रही थी । इसके पश्चात् सहजीविता की हानि के रूप में 1,00,000/- रुपए और अंत्येष्टि के खर्चों के लिए 25,000/- रुपए की राशि जोड़ी गई और 7.5 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित कुल 3,54,500/- रुपए का अधिनिर्णय दिया गया । जहां तक अप्राप्तवय बालिका का संबंध है, 36,000/- रुपए वार्षिक काल्पनिक आय निर्धारित की गई थी और व्यक्तिगत खर्चों के लिए 50 प्रतिशत की कटौती करके 15 का गुणक लागू करते हुए 2,70,000/- रुपए का प्रतिकर अधिनिर्णीत किया गया था, जिसमें से पुन: योगदायी उपेक्षा के लिए 50 प्रतिशत की कटौती की गई थी । अंत्येष्टि खर्चों के लिए 25,000/- रुपए की राशि जोड़ी गई थी और 7.5 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित कुल 1,60,000/- रुपए का अधिनिर्णय दिया गया था । प्रतिकर में वृद्धि करने के लिए की गई अपील को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया था । दावेदारों ने व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपीलें फाइल की । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलें मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – दोनों मृतका कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ एक घोड़ा गाड़ी में एक धार्मिक सत्संग में जाने के लिए यात्रा कर रही थीं । प्रत्यर्थियों का यह पक्षकथन नहीं है कि प्रथम मृतका घोड़ा गाड़ी को हांक रही थी या इसकी स्वामिनी थी, यह बात तो दूर कि घोड़ा गाड़ी को उसके पर्यवेक्षणाधीन हांका जा रहा था । मृतकाएं अन्य व्यक्तियों के

साथ-साथ यात्रियों के रूप में यात्रा कर रही थीं । इस तथ्य से कि घोड़ा गाड़ी दुर्घटना के समय पर सड़क के बीचों-बीच चल रही थी, उन्हें योगदायी उपेक्षा का दायी ठहराने के लिए दोषी नहीं समझा जा सकता है और पूर्ण प्रतिकर से इनकार नहीं किया जा सकता है । हमारी समझ से बाहर की बात है कि मृतकाओं को, जो कि घोड़ा गाड़ी में यात्री थीं, कैसे किसी रीति में दायी ठहराया जा सकता है । अत: दोनों अपीलों में योगदायी उपेक्षा के लिए 50 प्रतिशत की कटौती को पूर्णतया अन्यायपूर्ण और असंधार्य ठहराया जाना चाहिए । अत: दोनों मृतकाओं के विरुद्ध योगदायी उपेक्षा के विषय में निष्कर्ष अपास्त किए जाते हैं ।

प्रथम मृतका की काल्पनिक आय उसकी मृत्यु के समय पर 5,000/- प्रतिमाह अभिनिर्धारित की जानी चाहिए । इस आधार पर प्रतिकर 1/4 अर्थात् व्यक्तिगत खर्चों के लिए 15,000/- रुपए की कटौती के साथ 17 के गुणक से 7,65,000/- रुपए निर्धारित किया जाता है । यदि मृतका जीवित रहती, तो परिवार के कल्याण और देखरेख करने में योगदान देने में एक परिपक्व और कुशल गृहणी के रूप में उसकी कुशलताओं तथा बालकों के पालन-पोषण में समय के साथ वृद्धि होती और इस कारण से यह न्यायालय यह अभिनिर्धारित करता है कि अपीलार्थी भावी संभाव्यता के लिए 40 प्रतिशत की दर से सहजीविता की हानि और भावी खर्चों के लिए पहले मंजूर की गई राशि के अतिरिक्त हकदार होंगे । अत: यह न्यायालय प्रथम अपील में अपीलार्थी को संदेय कुल प्रतिकर 11,96,000/- रुपए निर्धारित करता है । अप्राप्तवय बालिका की आय को सुस्पष्ट रूप से नियत नहीं किया जा सकता है । यह न्यायालय द्वितीय मृतका की निर्धारित की गई काल्पनिक आय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाता है । (पैरा 8, 11 और 12)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2020]	ए. आई. आर. 2020 एस. सी. 776 : **काजल** बनाम **जगदीश चंद और अन्य** ;	6
[2010]	(2010) 9 एस. सी. सी. 218 : **अरुण कुमार अग्रवाल** बनाम **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.** ;	10

[2009] (2009) 14 एस. सी. सी. 1 :
आर. के. मलिक बनाम **किरण पाल** ; 12

[2006] (2006) 13 एस. सी. सी. 60 :
न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. बनाम **सतेन्द्र** ; 14

[2001] (2001) 8 एस. सी. सी. 197 :
लता वधुवा बनाम **बिहार राज्य** । 9

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2020 की सिविल अपील सं. 2624.

2018 की विशेष इजाजत याचिका (सिविल) सं. 13964 और 2018 की विशेष इजाजत याचिका (सिविल) सं. 16221 से उद्भूत अपील ।

हाजिर होने वाले पक्षकारों की ओर से सर्वश्री युनुस मलिक, अनीश महेश्वरी, अमन मलिक, समीर मलिक, संजय कुमार दुबे, गौतम दास, सुनील कुमार शेट्टी, (सुश्री) शुचि सिंह और कृष्ण कांत दुबे

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा ने दिया ।

न्या. सिन्हा – इजाजत दी गई ।

2. उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अधिकरण' कहा गया है) द्वारा दो दुर्घटना प्रतिकर दावों का विनिश्चय करते हुए किए गए अलग-अलग आदेशों से उद्भूत दो अपीलें खारिज कर दी थीं । अपीलार्थियों ने प्रतिकर में और अधिक वृद्धि करने का दावा किया था ।

3. प्रथम अपील में मृतका लगभग 30 वर्ष आयु की एक गृहणी थी । दूसरी मृतका लगभग 12 वर्ष आयु की उसकी पुत्री थी । दावेदार मृतका का पति/पिता और तीन अप्राप्तवय भाई-बहिन हैं । दोनों मृतका तारीख 25 दिसंबर, 2012 को एक घोड़ा गाड़ी में कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ एक धार्मिक सत्संग में जाने के लिए यात्रा कर रहे थे । घोड़ा गाड़ी को एक बस द्वारा टक्कर मार दी गई थी जिसके परिणामस्वरूप

उनकी मृत्यु हो गई थी । अधिकरण ने प्रथम मृतका की काल्पनिक आय 36,000/- रुपए वार्षिक निर्धारित की और व्यक्तिगत खर्चों के लिए 1/4 की कटौती करने के पश्चात् 17 के गुणक के साथ 4,59,000/- रुपए का प्रतिकर अधिनिर्णीत किया । अधिकरण ने इसके पश्चात् योगदायी उपेक्षा के आधार पर 50 प्रतिशत की कटौती की क्योंकि जब दुर्घटना घटी थी तब घोड़ा गाड़ी कथित रूप से सड़क के बीचों-बीच चल रही थी । इसके पश्चात् सहजीविता की हानि के रूप में 1,00,000/- रुपए और अंत्येष्टि के खर्चों के लिए 25,000/- रुपए की राशि जोड़ी गई और 7.5 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित कुल 3,54,500/- रुपए का अधिनिर्णय दिया गया ।

4. जहां तक अप्राप्तवय बालिका का संबंध है, 36,000/- रुपए वार्षिक काल्पनिक आय निर्धारित की गई थी और व्यक्तिगत खर्चों के लिए 50 प्रतिशत की कटौती करके 15 का गुणक लागू करते हुए 2,70,000/- रुपए का प्रतिकर अधिनिर्णीत किया गया था, जिसमें से पुन: योगदायी उपेक्षा के लिए 50 प्रतिशत की कटौती की गई थी । अंत्येष्टि खर्चों के लिए 25,000/- रुपए की राशि जोड़ी गई थी और 7.5 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित कुल 1,60,000/-रुपए का अधिनिर्णय दिया गया था ।

5. प्रतिकर में वृद्धि करने के लिए की गई अपील को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया था और इसलिए वर्तमान अपीलें फाइल की गई हैं ।

6. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि प्रथम मृतका की काल्पनिक आय को गलत रूप से नियत किया गया था और डेरी फार्म के कारबार से उसकी 5,000/-रुपए प्रतिमाह होने वाली आय की उपेक्षा की गई थी । भावी संभाव्यता के लिए कुछ भी अधिनिर्णीत नहीं किया गया था । द्वितीय मृतका की बाबत यह दलील दी गई कि वह एक विद्यालय में पढ़ रही थी और उसकी काल्पनिक आय 54,000/- रुपए प्रतिवर्ष निर्धारित की जानी चाहिए थी । संपदा की हानि, सहजीविता की हानि और अंत्येष्टि के खर्चों के लिए कुछ भी

अधिनिर्णीत नहीं किया गया था । दोनों अपीलों में सामान्य दलील यह थी कि योगदायी उपोक्षा के आधार पर कटौती असंधार्य और अन्यायसंगत थी । **काजल** बनाम **जगदीश चंद और अन्य**[1] वाले मामले का यह दलील देने के लिए अवलंब लिया गया कि मृतका बालिका की आय 4,846/- रुपए प्रतिमाह निर्धारित की जानी चाहिए थी ।

7. प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि वर्तमान अपीलों में हस्तक्षेप करने की आवश्कयता नहीं है । प्रथम मृतका की दावा की गई कारबार से आय के विषय में कोई साक्ष्य नहीं है । योगदायी उपेक्षा के निष्कर्ष में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । आय के किसी सबूत के अभाव में, भावी संभाव्यता का प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता है । इसी प्रकार, द्वितीय मृतका विद्यालय जाने वाली एक अप्राप्तवय बालिका थी और उसकी भी कोई आय नहीं थी, इसलिए उसके विषय में भावी संभाव्यता के लिए मंजूर करने का भी कोई प्रश्न उद्भूत नहीं होता है ।

8. हमने पक्षकारों की ओर से दलीलों पर विचार किया है । अपीलार्थियों द्वारा प्रथम मृतका की डेरी के कारबार से किसी आय के विषय में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया था । दोनों मृतका कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ एक घोड़ा गाड़ी में एक धार्मिक सत्संग में जाने के लिए यात्रा कर रही थीं । प्रत्यर्थियों का यह पक्षकथन नहीं है कि प्रथम मृतका घोड़ा गाड़ी को हांक रही थी या इसकी स्वामिनी थी, यह बात तो दूर कि घोड़ा गाड़ी को उसके पर्यवेक्षणाधीन हांका जा रहा था । मृतकाएं अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ यात्रियों के रूप में यात्रा कर रही थीं । इस तथ्य से कि घोड़ा गाड़ी दुर्घटना के समय पर सड़क के बीचों-बीच चल रही थी, उन्हें योगदायी उपेक्षा का दायी ठहराने के लिए दोषी नहीं समझा जा सकता है और पूर्ण प्रतिकर से इनकार नहीं किया जा सकता है । हमारी समझ से बाहर की बात है कि मृतकाओं को, जो कि घोड़ा गाड़ी में यात्री थीं, कैसे किसी रीति में दायी ठहराया जा सकता है । अत: दोनों अपीलों में योगदायी उपेक्षा के लिए 50 प्रतिशत की कटौती को पूर्णतया

---

[1] ए. आई. आर. 2020 एस. सी. 776.

अन्यायपूर्ण और असंधार्य ठहराया जाना चाहिए । अत: दोनों मृतकाओं के विरुद्ध योगदायी उपेक्षा के विषय में निष्कर्ष अपास्त किए जाते हैं ।

9. प्रथम मृतका लगभग 30 वर्ष आयु की एक गृहणी थी । **लता वधुवा** बनाम **बिहार राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि गृहणियों द्वारा की जाने वाली बहुआयामी सेवाओं पर विचार करते हुए यहां तक कि एक मर्यादित प्राक्कलन के आधार पर 34 से 59 वर्ष की आयु समूह के बीच की गृहणी, जो सक्रिय जीवन जी रही थी, की आय 36,000/- रुपए प्रति वर्ष निर्धारित की जानी चाहिए । 62 से 72 वर्ष आयु समूह की वृद्ध महिलाएं, जो कि आयु और अनुभव द्वारा गृहणी के कर्तव्यों का निर्वहन करने में अधिक कुशल होती हैं, उनके विषय में एक प्रभेद किया गया था और उनके द्वारा की गई सेवाओं का मूल्य 20,000/- रुपए प्रति वर्ष लिया गया था ।

10. **अरुण कुमार अग्रवाल** बनाम **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.**[2] वाले मामले में अधिकरण ने गृहणी की काल्पनिक आय 5,000/- रुपए प्रतिमाह निर्धारित की थी किंतु किसी युक्तिसंगतता या तर्कणा के बिना यह निष्कर्ष निकाला कि वह एक न कमाने वाली सदस्य थी और इस आय को कम करके 2,500/- रुपए कर दिया और उसकी अभिपुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की गई थी । इस न्यायालय ने इसका अननुमोदन करते हुए और निर्धारित की गई आय को प्रत्यावर्तित करते हुए पैरा 26 और 27 में निम्नलिखित मत व्यक्त किया :–

> "26. भारत में न्यायालयों ने इस बात को मान्यता दी है कि पत्नी द्वारा घर में दिया गया योगदान अमूल्य है और इसकी धन के रूप में संगणना नहीं की जा सकती है । पत्नी द्वारा बालकों और अपने पति को सच्चे प्यार और स्नेह के साथ और घरेलू कार्यों को संभालने में दी गई नि:शुल्क सेवाओं को अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई सेवाओं के बराबर नहीं माना जा सकता है । एक पत्नी/माता घड़ी देखकर काम नहीं करती । यदि वह नियोजित नहीं है और

---

[1] (2001) 8 एस. सी. सी. 197.

[2] (2010) 9 एस. सी. सी. 218.

विशिष्ट घंटों के लिए उसे नियोजक की हाजिरी देनी आवश्यक नहीं है, तो वह दिन-रात परिवार की लगातार परिचर्या में लगी रहती है । वह खाना पकाने, कपड़े धोने आदि सहित पति और बालकों की सभी आवश्यकताओं की देखरेख करती है । वह छोटे बालकों को पढ़ाती है और उनके भावी जीवन के लिए उन्हें मूल्यवान मार्गदर्शन देती है । एक नौकर या नौकरानी खाना पकाने, कपड़े और बर्तन धोने, घर को साफ-सुथरा रखने इत्यादि जैसे घरेलू कार्य कर सकती है, किंतु वह कदापि एक पत्नी/माता का स्थान नहीं ले सकती है जो अपने पति और बालकों की नि:स्वार्थ सेवा करती है ।

27. पत्नी/माता द्वारा परिवार अर्थात् पति और बच्चों के लिए दी गई सेवाओं के बदले में किसी रकम की गणना करना संभव नहीं है । तथापि, आश्रितों को प्रतिकर प्रदान करने के प्रयोजन के लिए गृहणी पत्नी/माता की सेवाओं का कुछ धनीय प्राक्कलन किया जाना चाहिए । इस संदर्भ में, 'सेवाओं' शब्द को एक व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए और इसका अर्थान्वयन मृतका द्वारा अपने बालकों को एक माता के रूप में और अपने पति को एक पत्नी के रूप में की गई व्यक्तिगत देखरेख की हानि को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए । वे मृतका द्वारा दी गई नि:शुल्क सेवाओं की हानि के बदले में पर्याप्त प्रतिकर के हकदार हैं । आश्रितों को संदेय रकम को इस आधार पर कम नहीं किया जा सकता है कि कोई घनिष्ठ नातेदार जैसे कि दादी परिवार को स्वैच्छिक ऐसी कुछ सेवाएं दे सकती है जो पहले मृतका दे रही थी ।"

11. अत: प्रथम मृतका की काल्पनिक आय उसकी मृत्यु के समय पर 5,000/- प्रतिमाह अभिनिर्धारित की जानी चाहिए । इस आधार पर प्रतिकर 1/4 अर्थात् व्यक्तिगत खर्चों के लिए 15,000/- रुपए की कटौती के साथ 17 के गुणक से 7,65,000/- रुपए निर्धारित किया जाता है । यदि मृतका जीवित रहती, तो **लता वधवा** (उपर्युक्त) वाले मामले में की गई मताभिव्यक्तियों को दृष्टिगत करते हुए परिवार के कल्याण और देखरेख करने में योगदान देने में एक परिपक्व और कुशल गृहणी के रूप

में उसकी कुशलताओं तथा बालकों के पालन-पोषण में समय के साथ वृद्धि होती और इस कारण से हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि अपीलार्थी भावी संभाव्यता के लिए 40 प्रतिशत की दर से सहजीविता की हानि और भावी खर्चों के लिए पहले मंजूर की गई राशि के अतिरिक्त हकदार होंगे । अत: हम प्रथम अपील में अपीलार्थी को संदेय कुल प्रतिकर 11,96,000/- रुपए निर्धारित करते हैं ।

12. द्वितीय मृतका स्कूल जाने वाली एक बालिका थी जिसकी आयु लगभग 12 वर्ष थी । उसका सभी प्रसामान्य मानवीय आकांक्षाओं के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक संपूर्ण भविष्य था । उसकी अति किशोर आयु में यहां तक कि इससे पूर्व कि वह जीवन की सुंदरता और आनंद को इसके सभी उतार-चढ़ावों के साथ समझना आरंभ कर सकती, उसके किसी दोष के बिना दुर्घटना के कारण अकाल मृत्यु हो गई थी । बाल्यावस्था में असामयिक किसी मानव जीवन की हानि को कदापि केवल उपार्जन या धनीय हानि के रूप में नहीं आंका जा सकता है । बालक के खो देने में जो भावनात्मक अनुरक्ति अंतर्वलित होती है, उसका परिवार पर एक विध्वंसकारी प्रभाव हो सकता है जिसे अनुभव करने और समझने की आवश्यकता है । अत: जीवन की प्रत्याशा की हानि के लिए प्रतिकर प्रदान करके किए गए दोष के लिए गैर धनीय नुकसानी प्रदान करना आवश्यक है । निस्संदेह, बालक का जीवन चले जाने से जो क्षति पहुंचती है उसका आकलन करना बहुत कठिन है । भविष्य भी अनिश्चितताओं से भरा होता है । अत: न्यायालयों ने प्रतिकर प्रदान करने में संगतता और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए एक राशि का आकलन करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए "न्यायसंगत प्रतिकर" अभिव्यक्ति का प्रयोग किया है । यह अवधारण विपदग्रस्त या दावेदार की वित्तीय स्थिति पर निर्भर नहीं करेगा बल्कि मृतका यदि वह जीवित रही होती, द्वारा दावेदारों के जीवन में प्रसन्नता प्रदान करने की सामर्थ्य और कुशलता पर निर्भर करेगी । प्रतिकर भावी प्रसन्नता की हानि के लिए है जो दावेदार ने उपभोग किया होता यदि बालिका की मृत्यु किशोर आयु में न हुई होती । चूंकि बालिका एक विद्यालय में पढ़ रही थी और जैसे-जैसे वर्ष बीतते, उसके लिए जीवन में

अवसर निस्संदेह भरपूर होते, इसलिए भावी संभाव्यता के विषय में भी अवश्य प्रतिकर मंजूर किया जाना चाहिए । यह सुरक्षित रूप से उपधारणा की जा सकती है कि शिक्षा बेहतर संभाव्यता और एक उज्ज्वल भविष्य के साथ उसके बेहतर विकास और परिपक्वता का कारण बनती, जिसके लिए गैर-धनीय नुकसानी के अधीन प्रतिकर मंजूर किए जाने की आवश्यकता है (**आर. के. मलिक** बनाम **किरण पाल**[1] वाला मामला देखें) ।

13. अप्राप्तवय बालिका की आय को सुस्पष्ट रूप से नियत नहीं किया जा सकता है । हम द्वितीय मृतका की निर्धारित की गई काल्पनिक आय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं । **आर. के. मलिक** बनाम **किरण पाल** (उपर्युक्त) वाले मामले में लगभग 10 वर्ष आयु के मृतक बालक के लिए भावी संभाव्यता के लिए प्रतिकर मंजूर करने की बात पर विचार करते हुए निम्नलिखित मत व्यक्त किया गया था :–

> "32. अपीलार्थी-दावेदारों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा यह जोरदार दलील दी गई है कि अधिकरण तथा उच्च न्यायालय दोनों, बालकों के भावी संभाव्यता के विषय में अपीलार्थियों के दावों पर विचार करने में असफल रहे थे । यह दलील दी गई कि निचले न्यायालयों द्वारा इस विषय में साक्ष्य की उपेक्षा की गई थी ।
>
> 33. अभिलेख पर के साक्ष्य का परिशीलन करने पर, हम इस दलील में यह गुणता पाते हैं कि निचले न्यायालयों ने प्रतिकर प्रदान करते समय मामले के इस पहलू की अनदेखी की थी । यह सुस्थिर विधिक सिद्धांत है कि धनीय हानियों के लिए प्रतिकर प्रदान करने के अतिरिक्त बालकों की भावी संभाव्यता के विषय में भी अवश्य प्रतिकर प्रदान किया जाना चाहिए । प्रतिकर प्रदान करते समय उक्त पहलुओं पर विचार करने के लिए न्यायालय आबद्धकर है ..... ।"

---

[1] (2009) 14 एस. सी. सी. 1.

14. **न्यू इंडिया एश्योरेंस कं.** बनाम **सतेन्द्र**[1] वाले मामले में दुर्घटना का शिकार मृतक एक नौ वर्षीय स्कूल जाने वाला बालक था । एक नियमित आय के अभाव में भावी संभाव्यता की हानि के लिए दावे पर विचार करते हुए यह मत व्यक्त किया गया था कि अवधारित किया गया प्रतिकर एक न्यायसम्मत दृष्टिकोण के द्वारा न्यायसंगत और उचित होना चाहिए और मनमाने रूप से या मनमौजी रूप में नियत नहीं किया जाना चाहिए । एक किशोर आयु की अनिश्चितताओं का निम्नलिखित शब्दों में उल्लेख किया गया था :–

> "12. कम आयु के किशोर बालकों की दशा में, अत्यधिक अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए न तो मृत्यु के समय उनकी आय, न ही उनकी आय में भावी वृद्धि की संभावना और न ही उनकी जीवन-वृत्ति के विकास के अवसर प्राक्कलित आधार पर उचित अवधारण करने में समर्थ हैं । इसका कारण यह है कि इतनी कम आयु में, उनके शैक्षणिक लक्ष्य, जीवन-वृत्ति में उपलब्धियों और इसके पश्चात् जीवन में उन्नति करने के संबंध में अनिश्चितताएं इतनी होती हैं कि युक्तियुक्त निश्चितता के साथ कुछ भी कल्पना नहीं की जा सकती । अत:, न तो मृतक बालक की आय प्राक्कलित आधार पर निर्धारण करने में समर्थ होती है और न ही उसके माता-पिता को भी वित्तीय हानि के आधार पर गणितीय संगणना की जा सकती है ।"

15. योगदायी उपेक्षा के कारण की गई कटौती को हमारे द्वारा पहले ही असंधार्य ठहराया गया है । अपीलार्थियों को मृत बालिका के विषय में एक न्यायसंगत और उचित प्रतिकर का अवधारण करने के लिए मामले के समग्र तथ्य और परिस्थितियां "भावी संभाव्यता" के अलग शीर्ष के अधीन कोई अधिक प्रतिकर प्रदान करके 2,95,000/- रुपए से इसे और अधिक बढ़ाने के लिए हमें प्रेरित नहीं करते हैं । यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि **आर. के. मलिक** (उपर्युक्त) वाले मामले में, जहां तक बालकों का संबंध है, भावी संभाव्यता को मंजूर

---

[1] (2006) 13 एस. सी. सी. 60.

करने के लिए **सतेन्द्र** (उपर्युक्त) वाले मामले पर विचार नहीं किया गया था ।

16. **काजल** (उपर्युक्त) वाला मामला अपने स्वयं के तथ्यों के आधार पर प्रभेदनीय है । दुर्घटना की शिकार एक नौ माह की बालिका थी, जिसके निर्योग्यता प्रमाणपत्र से यह उपलक्षित था कि वह वयस्कता प्राप्त करने पर एक स्त्री के सभी शारीरिक और जैविक लक्षणों के साथ बिस्तर पर पड़े-पड़े वयस्क बनेगी किंतु उसका मस्तिष्क दुर्घटना के कारण एक नौ माह के बालक का बना रहेगा । यह मामला अपने स्वयं के तथ्यों के आधार पर पूर्ण रूप से प्रभेदनीय है और बारंबार उपचार, अस्पताल में भर्ती करने, परिवहन, भावी उपार्जन की हानि, परिचर्या के प्रभार, दुःख, कष्ट, सुविधाओं की हानि, विवाह की संभाव्यता की हानि और भविष्य के चिकित्सीय उपचार इत्यादि के मद्धे खर्चे इस मामले में मृत्यु हो जाने पर किए गए दावे के कारण उद्भूत नहीं होते हैं ।

17. 2018 की विशेष इजाजत याचिका (सिविल) सं. 13964 से उद्भूत यह सिविल अपील मंजूर की जाती है और 2018 की विशेष इजाजत याचिका (सिविल) सं. 16261 से उद्भूत सिविल अपील केवल उपदर्शित सीमा तक मंजूर की जाती है ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

जस.